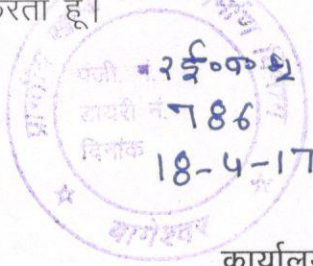


आदेश

उप जिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 06 अप्रैल, 2017 के आधार पर जनपद बागेश्वर में जखेडा बैण्ड से जूनियर हाईस्कूल तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.152 है० के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगनी अवनत भूमि 2.304 है० जो ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 8272 रकवा 1.750 है०, 8288 रकवा 0.485 है०, 8303 रकवा 0.060 है०, 8304 रकवा 0.013 है० मध्ये रकवा 0.009 है०, कुल खेत 04 कुल रकवा 2.304 है० जो श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(11)/ 2012-18(120)/ 2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 55/X-4-16/ 1(11) 2016 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 में दी गयी शर्तों के अधीन उक्त वर्णित 2.304 है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।



जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

संख्या - 175 / छबीस वन / 2016-17 दिनांक 17 / 4 / 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित -

- 1-प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2-अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर।
- 3-उपजिलाधिकारी, कपकोट।
- 4-तहसीलदार, कपकोट को इस आषय के साथ प्रेशित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।